

R/18/उप/अ/12-13
25/4/12

कार्यालय उपाध्यक्ष,
कानपुर विकास प्राधिकरण,

पत्रांक:- 21 /उपा/पीए/12

दिनांक 25/4/12

कार्यालय आदेश

यह संज्ञान में लाया गया है कि कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अशमनीय भाग वाले मानचित्रों को to be demolished शर्त के साथ स्वीकृत किया जा रहा है। यह व्यवस्था उचित नहीं है। पक्ष द्वारा एक बार मानचित्र स्वीकृत होने के बाद उक्त अशमनीय भाग नहीं तोड़ा जाता है।

अतः आदेशित किया जाता है कि भविष्य में प्राधिकरण द्वारा कोई भी मानचित्र to be demolished शर्त के साथ नहीं स्वीकृत किया जाएगा। यदि स्थल पर कोई अशमनीय भाग है और उसे तोड़ा जाना है तो पक्ष द्वारा पहले उक्त अशमनीय भाग तोड़ा जाएगा तत्पश्चात भवन मानचित्र स्वीकृत किया जाएगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

(राम मोहन यादव)
उपाध्यक्ष

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. सचिव ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं विभागीय अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. गार्ड फाईल ।

(राम मोहन यादव)
उपाध्यक्ष